उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड



युपीएराशाईडीसी कापलेक्स A-1/4ए लखनपुर कानपुर - 208024

बुरामा : 0512- 582851-53 : 0512-2580797 वेनसाइट: www.upside.com

CIN-U26961SGC002834

संदर्भ संख्या

/ एसआईडीसी / एटीपी

दिनांक

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में विकसित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव सीधे एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को अपूर्ण प्रपत्रों के साथ बिना किसी स्पष्ट संस्तुति के प्रेषित किये जा रहे हैं, जिससे उनके निरतारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संत्काल प्रभाव से उनके द्वारा भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय के माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर विवरण एवं सम्बन्धित प्रपन्नों सहित एटीपी अनुभाग, मुख्यालय प्रेषित किये जायेगें:-

प्रथम आवंटन से पूर्व औद्योगिक गूखण्डों के आकार परिवर्तन करते हुये विकास योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी-यूपीसीडा द्वारा संशोधन के प्रस्तावः क)

भूखण्डों/भूखण्ड की तलपट मानचित्र/विकास योजना में अवस्थिति निर्धारित भू-उपयोग का विवरण तथा तलपट मानचित्र के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।

भूखण्डों / भूखण्ड के आवंटन हेतु गठित आंकलन समिति की संस्तुति तथा आवंटन 2 प्रस्ताव का प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन।

भूखण्डों / भूखण्ड पर निर्माण की अद्यतन रिथति। 3

भूखण्डों / भूखण्ड के निकटवर्ती भूखण्डों पर निर्माण एवं सेटवंक की रियति।

भूखण्डों / भूखण्ड में उद्यमी द्वारा प्रस्तावित कियाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाश, संवातन, प्राइवेसी एवं प्रदूषण सम्बन्धी नुष्प्रभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में स्थित उद्योगों से प्रस्तावित भूखण्डों पर दुष्प्रभाव सम्बन्धी आस्या।

भूखण्डों / भूखण्ड का संविलियन / उप विभाजन प्रस्ताव यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होने, विकास कार्य सम्मिलित न होने एवं आच्छादित भूमि के निर्धारित भू-उपयोग में परिवर्तन न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति।

अन्य विवरण।

औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजना में आवंटित भूखण्डों के संविलियन/उप विभाजन के प्रस्तावः


आवंटी का अनुरोध पत्र एवं यूपीसीडा के मानकों के अनुरूप प्रसापित संविजियन/उप विभाजन मानचित्र।

आवंटित भूखण्डों का आवंटन / हस्तांतरण पन।

प्रस्तावित भूखण्ड की तलपट मानवित्र/विकास योजना में अवस्थिति, निर्धारित भू-उपयोग 2 का विवरण तथा तलपट मानवित्र के अनुसार सहाम अधिकारी द्वारा जारी साइट प्लान।

आवंटित भूखण्डों का पट्टाविलेख एवं कब्जा प्रमाणपत्र।

संविलियन/उप विभाजन शुल्क की यूपीसीटा के मूमि विकास विनियमन, 2004 के मानकों के अनुसार गणना का विवरण एवं प्राप्ति रसीद।



कार्यालय आदेश सं0 491-516/एसआईडीसी/यूपीसीडा दिनांक 09.3.2018 के 🎄 संविलियन शुल्क की देयता में छूट प्रभावी होने सम्बन्धी मुख्य कार्यपालक अधिकारी हार जारी अनुमति पन्न।

आवंटित भूखण्डों पर निर्माण की अद्यतन स्थिति तथा निकटवर्ती भूखण्डों के आवंटन/ 7

निर्माण की अद्यतन रिथति।

आवंटित भूखण्डों पर वर्तमान में निर्माण होने की दशा में स्वीकृत भवन मानचित्र। यदि 8 शमन अपेक्षित हो तो शमन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त जारी खीकृत गानचित्र।

संविलियत भूखण्ड में उद्यमी द्वारा प्रस्तावित कियाओं का निकटवर्ती भूखण्डों पर प्रकाश, संवातन एवं प्राइवेसी पर दुष्प्रभाव तथा निकटवर्ती भूखण्डों में रिथत उद्योगों से प्रस्तावित भूखण्ड पर दुष्प्रभाव।

प्रस्ताव के यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 में निर्धारित गानकों के अनुरूप 10 होने, भू-उपयोग परिवर्तन न होने तथा विकास कार्य यदि प्रस्तावित हो तो उनके विवरण

सहित क्षेत्रीय प्रयन्धक / परियोजना अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति एवं आख्या।

यूपीसीडा के भूमि विकास विनियमन, 2004 के अनुसार भूखण्डो का संविशियन/उप 11 विभाजन एक सम्धिक प्रावधान (Enabling Provision) है। अतः प्रस्ताव को कार्यहित में आवश्यक होने तथा क्षेत्र की विकास योजना की मूल संरचना प्रभावित न होन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या।

आवंटित भूखण्डों पर लीज प्रीमियम / प्रभाव शुल्क / आवंटन सम्बन्धी समस्त शुल्क / समय विस्तारण शुल्क तथा निगम के अन्य सुमस्त देयों के पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त

जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी द्वारा संविलियन / उप विभाजन भूखण्डों के प्रस्ताव समस्त आवश्यक प्रपत्र, सम्बन्धित मूल पत्रावली सहित औठक्षेठ अनुभाग, मुख्यालय प्रेषित किये जायेगें। समस्त प्रस्ताव सम्बन्धित पत्राविलयों पर औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय द्वारा उद्यित पाये जाने की दशा में संस्तृति सहित एटीपी अनुभाग, मुख्यालय अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किये जायेगें।

> (पीठकेठ पाण्डेय) संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

/ एसआईडीसी / एटीपी /का मि आहे हा दिनांक 27 7. 2018 संदर्भ संख्या 3 %।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

अधिकारी-यूपीसीडा, कार्यपालक भहोदय / मुख्य निदेशक प्रबन्ध उ०प्र0रा०औ०विþनिं०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

प्रबन्धकं(औ०क्षे०) / प्रभारी--मुख्य प्रबन्धकं(औ०क्षे०), उ०प्र०रा०औं।विवनिवलिव,

भूरड्यालय, कानपुर।

प्रभारी-यूपीसोंडा, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, गुख्यालय, कानपुर।

प्रभारी-एटीपी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि० लि०, मुख्यालय, कानपुर।

समस्त क्षेत्रीय प्रयन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०राठऔ०वि०नि०लि०,.....

रामस्त अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,..... 5

> (पी०के० पाण्डेय) संयुक्त प्रबन्ध निदेशक